कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2713551

संख्या–3740/ XXV– 12(P-14)/2021देहरादूनः दिनांक 25 जुलाई,2024

पंजीकृत

सेवा में,

श्री सतीस कुमार,
पुत्र स्व0 श्री मंगल सेन
निवासी जवाहर नगर वार्ड नं0 3
जवाहर नगर लाल कुआं, नैनीताल
उत्तराखण्ड।

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सहायक आयुक्त/लोक सूचना अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या 545 दिनांक 24.07.2024 के साथ संलग्न आपका अनुरोध पत्र दिनांक 17.06.2024 जो इस कार्यालय में दिनांक 24.06.2024 को प्राप्त हुआ है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 01 से सम्बन्धित सूचना चाही गई है।

उक्त के कम में बिन्दु संख्या 01 से सम्बन्धित इस कार्यालय में उपलब्ध सूचना (ग्यारह पृष्ठ) संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हो तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

अपीलीय अधिकारी का पता

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून–248001
मो0न0–9897995591

Signed by Basant Singh Rawat
Date: 25-07-2024 13:38:32

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0 9411740189

पत्रवाहक / पंजीकृत

प्राप्त 24/7/24 (2374)

सत्यमेव जयते

सूचना का अधिकार

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड

निर्वाचन भवन, लाडपुर, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून।

दूरभाष : 0135–2662253, 2662254 टैलीफैक्स : 0135– 2662251, 2662257 E-Mail : sec-uttarakhand@uk.gov.in

संख्या– 545 /रा0नि0आ0/आर0टी0आई0/3050–1/2021 दिनांक 24 जुलाई, 2024

"सूचना के अनूरोध को दूसरे प्राधिकारी को हस्तातंरण"

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकरी, उत्तराखण्ड,
सचिवालय परिसर, देहरादून।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री सतीस कुमार, पुत्र स्व0 श्री मंगल सेन निवासी जवाहर नगर वार्ड न0–3 जवाहर नगर लालकुआं, नैनीताल, द्वारा प्रेषित अनुरोध–पत्र दिनांक 18.07.2024 राज्य निर्वाचन आयोग में दिनांक 22.07.2024 को प्राप्त हुआ है तथा अनुरोधकर्ता द्वारा नियमानुसार आवेदन शुल्क रू0 10.00 एवं अतिरिक्त शुल्क रू0 10.00 का भारतीय पोस्टल आर्डर प्राप्त है।

चूंकि उपरोक्त अनुरोध पत्र में मांगी गयी सूचना आपके विभाग से संबंधित है, अतएव् सन्दर्भित अनुरोध पत्र की मूलप्रति सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत आपको इस आशय से अंतरित की जा रही है कि अनुरोध–पत्र में वांछित सूचना नियमानुसार अनुरोधकर्ता को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस पत्र की एक प्रति अनुरोधकर्ता को सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0–7302254903

संख्या– /रा0नि0आ0/सू0का0अ0/3050–1/2021 तद्दिनांक। (पंजीकृत)

प्रतिलिपिः– श्री सतीस कुमार, पुत्र स्व0 श्री मंगल सेन निवासी जवाहर नगर वार्ड न0–3 जवाहर नगर लालकुआं, नैनीताल जिला मो0 9758923830 को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजकुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त/
लोक सूचना अधिकारी।

R-1169/18.07.24
F-3050.1/2019

(1)

सेवा में,

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी महोदय,
कार्यालय – राज्य निर्वाचन आयोग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय– सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित बिंदुओं पर सूचना हेतु प्रार्थना पत्र।

1– यह है की मुझे जानकारी हुयी है की वन विभाग को 14 मार्च 2024 से 20 मार्च 2024 तक उत्तराखंड शासन द्वारा बजट जारी किया गया है यह बजट पुराने कार्य के भुगतान हेतू जारी किया गया था। परन्तु वन विभाग द्वारा इस बजट से नये कार्य कराये गये है।जिसमे वृक्षारोपण कार्य हेतू अग्रिम मृदा कार्य कराया गया। वन विभाग द्वारा आदर्श आचार सहिता लोकसभा 2024 के बाद कार्य कराये गये। इन कार्यो को टेंडर/कोटेशन द्वारा कराये गये।कृप्या आवेदनकर्ता को यह बताये की वन विभाग द्वारा आप से आदर्श आचार सहिता के अंतर्गत किन –किन कार्य हेतू अनुमति ली गयी, यदि आपके द्वारा आदर्श आचार सहिता के अंतर्गत वन विभाग को कार्य करने की अनुमति दी गयी है की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

पोस्टल आर्डर संख्या– 38 F 900988

दिनांक–18.07.2024

श्री बडोनी

22.7.2024
(राज कुमार वर्मा)
सहायक आयुक्त
राज्य निर्वाचन आयोग
उत्तराखण्ड

प्रार्थी

(सतीस कुमार)
पुत्र श्री स्व0 श्री मंगल सेन
निवासी जवाहर नगर वार्ड न0 3,
जवाहर नगर लालकुआं, नैनीताल,
उत्तराखण्ड

Received IPO Rs. 20/-
23/7/24

(1)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001
email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 2133 /XXV-36/2024 देहरादून दिनांक 05 ~~मार्च~~ अप्रैल 2024

चुनाव का पर्व DESH KA GARV LOK SABHA ELECTION 2024

सेवा में,

सचिव
समान्य प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 : वन विभाग के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड सवंर्ग) में अपर प्रमुख वन संरक्षक वेतनमान–वेतन मैट्रिक्स लेवल–15 (₹1,82,200–2,24,100) के 03 पदों पर पदोन्नति हेतु आयोग का अनुमोदन प्रदान किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–437/भा.नि.आ./उत्तरा–लो.सभा/उ.अनु.–2/2024 दिनांक–04 अप्रैल, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या–1953/XXV-36/2024 दिनांक–31 मार्च, 2024 के क्रम में वन विभाग के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड सवंर्ग) में अपर प्रमुख वन संरक्षक वेतनमान–वेतन मैट्रिक्स लेवल–15 (₹1,82,200–2,24,100) के 03 पदों पर पदोन्नति हेतु आयोग द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गयी है।

अतः आयोग से प्राप्त उक्त अनुमोदन की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्न–यथोपरि।

(डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पृष्ठांकन संख्या– 2133/XXV- 36 /2024/तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः–सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
संलग्न–यथोपरि।

(डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे)
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(2)

ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001.
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

सं0:437/भा0नि0आ0/उत्तरा-लो0स0/उ0अनु0-2/2024 **दिनांक:- 04 अप्रैल, 2024**

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:-लोक सभा समान्य निर्वाचन, 2024, गठित अनुवीक्षण समिति से प्राप्त वन विभाग के अन्तर्गत भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) में अपर प्रमुख वन संरक्षक वेतनमान–वेतन मैंट्रिक्स लेवल–15 (₹1,82,200–2,24,100) के 03 पदों पर पदोन्नति हेतु आयोग का अनुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 1953/XXV-36/2024, दिनांक 31.03.2024 के संदर्भ में यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अर्न्तगत भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) में अपर मुख्य वन संरक्षक, वेतमान-वेतन मैंट्रिक्स लेवल-15 (₹1,82,200-2,24,100) के 03 पदों पर पदोन्नति प्रदान किये जाने से संबंधित प्रस्ताव को आयोग ने अनुमति प्रदान कर दी है।

भवदीय,

(के.पी. सिंह)
अवर सचिव

(3)

ELE-ELE/COND(LS)/7/2024-ELECT-1-Election Department

/208245/2024

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 2834 /XXV-36(2) /2024 देहरादून दिनांक 01 मई, 2024

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

चुनाव का पर्व DESH KA GARV LOK SABHA ELECTION 2024

विषयः– लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024, के दृष्टिगत वन विभाग के प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

कृपया उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–437/भा.नि.आ./उत्तरा–लो.सभा/उ.अनु.–2/2024 दिनांक–01 मई, 2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या–2752/XXV-36(2)/2024 दिनांक–27 अप्रैल 2024 के क्रम में आयोग द्वारा प्रकरण पर अनापत्ति प्रदान की गयी है।

अतः आयोग से प्राप्त अनापत्ति की प्रति आपके पत्र संख्या–800/X-1-2024–4(03)/2024 दिनांक–27 अप्रैल, 2024 के क्रम में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने के मुझे निदेश प्राप्त हुए है।

भवदीय,

संलग्न–यथोपरि।

Signed by Basava Venkata Rama Chandra Purushottam
Date: 01-05-2024 17:34:31
Reason: Approved

(डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम)
मुख्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

<u>पृष्ठांकन संख्याः– 2834 XXV- 36(2) /2024/तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपिः–प्रमुख सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न–यथोपरि।

(डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरूषोत्तम)
मुख्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(4)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 2752/XXV- 36(2) /2024 देहरादून दिनांक 27 अप्रैल, 2024

चुनाव का पर्व DESH KA GARV

सेवा में,

प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग,
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली।

विषयः– **लोक सभा समान्य निर्वाचन, 2024, के दृष्टिगत वन विभाग के प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, महोदया, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–802/X-1-2024–04(03)/2024 दिनांक–27 अप्रैल, 2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), सर्वोच्च वेतनमान–वेतन मैट्रिक्स लेवल–17 (रू0 2,25,000/–) के 01 पद पर पदोन्नति/चयन किये जाने विषयक प्रकरण से संबंधित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2– वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न प्रस्ताव जिसमें उल्लेख किया गया है कि, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक–30 नवम्बर, 2016 द्वारा भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के पुनर्गठित ढांचे के सर्वोच्च वेतनमान में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) का 01 पद सृजित है। वर्तमान में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के पद पर तैनात श्री अनूप मलिक (भा.व.से.–1987) अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक–30 अप्रैल, 2024 को सेवानिवृत हो रहे है तथा श्री अनूप मलिक की सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष पदोन्नति/चयन की कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक–25.04.2024 को विशेष चयन समिति की सम्पन्न बैठक के क्रम में प्राप्त उच्चानुमोदन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) का पद विभाग का सर्वोच्च पद होने के कारण उक्त पद को भरे जाने की आवश्यकता है।

अतः उक्त के क्रम में मुझे निवेदन सहित यह अनुरोध करने के निदेश प्राप्त हुए हैं कि वन विभाग के प्रस्ताव पर प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता रखने वाले प्रमुख वन संरक्षक स्तर के अधिकारी का निर्वाचन संबंधी कार्यों से कोई सीधा सम्बन्ध न होने के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(5)

प्राप्त - 27/4/24

संख्या– 802 /X–1–2024–04(03)/2024

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन अनुभाग–1 देहरादून, दिनांकः 27 अप्रैल, 2024

विशयः– लोक सभा निर्वाचन–2024 के दृश्टिगत वन विभाग के प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) में प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ), सर्वोच्च वेतनमान–वेतन मैट्रिक्स लेवल–17 (रू0 2,25,000/–) के 01 पद पर पदोन्नति/चयन किये जाने विषयक प्रकरण से संबंधित प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न–प्रस्ताव।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव।

लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 के दृष्टिगत निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन का प्रस्ताव।

आवश्यकता/औचित्य/निर्वाचन में प्रभाव
आवश्यकताः– भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 30 नवम्बर, 2016 द्वारा भारतीय वन सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग) के पुनर्गठित ढांचे के सर्वोच्च वेतनमान में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), का 01 पद सृजित है। वर्तमान में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के पद पर तैनात श्री अनूप मलिक (भा0व0से0 1987) अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा श्री अनूप मलिक की सेवानिवृत्ति के उपरान्त प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के रिक्त होने वाले पद के सापेक्ष पदोन्नति/चयन की कार्यवाही किये जाने के संबंध में दिनांक 25.04.2024 को विशेष चयन समिति की सम्पन्न बैठक के क्रम प्राप्त उच्चानुमोदन के फलस्वरूप प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) का पद विभाग का सर्वोच्च पद होने के कारण उक्त पद को भरे जाने की नितान्त आवश्यकता है। **औचित्यः–** वर्तमान में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के पद पर तैनात अधिकारी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को सेवानिवृत्त होने के कारण प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) का पद विभाग का सर्वोच्च पद होने के दृष्टिगत उक्त पद को भरा जाना आवश्यक है। **निर्वाचन में प्रभावः–** प्रमुख वन संरक्षक (हॉफ) के पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता रखने वाले प्रमुख वन संरक्षक स्तर के अधिकारी का निर्वाचन संबंधी कार्यों से कोई सीधा संबंध नहीं होने के दृष्टिगत उक्त पद पर पदोन्नति के फलस्वरूप निर्वाचन की प्रक्रिया पर कोई विशेष प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है। उक्त पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण किये जाने हेतु निर्वाचन आयोग की अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

(राधा रतूड़ी)
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

(7)

XXV-36(2)/2024

1/210251/2024

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 2940 /XXV-36(2)/2024 देहरादून दिनांक 18 मई, 2024

सेवा में,

चुनाव का पर्व DESH KA GARV LOK SABHA ELECTION 2024

सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

विषयः– **लोक सभा समान्य निर्वाचन, 2024, गठित अनुवीक्षण समिति से प्राप्त विभिन्न विभाग के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–437 / भा.नि.आ. / उत्तरा–लो. सभा / उ.अनु.–2 / 2024 दिनांक–09 मई, 2024 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने के कष्ट करें, जिसमें इस कार्यालय के पत्र संख्या–2874 / XXV-36(2)/ 2024 दिनांक–06 मई, 2024 के क्रम में प्रशासकीय विभागों से प्राप्त निम्नांकित प्रस्तावों पर आयोग द्वारा इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की गयी है कि किसी भी तरह से राजनैनिक लाभ हासिल करने के लिये इसका उल्लेख नहीं किया जायेगा।

क्र.सं.	**पत्र संख्या / दिनांक / प्रशासकीय विभाग**	**विवरण**
1	655 / XXXI(15)G-2024/02 (सा.) / 2022 दिनांक–01 मई, 2024 **परिवहन विभाग**	परिवहन विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा उत्तराखण्ड राज्य में बीएलटी परियोजना हेतु Implementing Agency के निर्धारण के लिये किये गये ई–टैन्डर हेतु प्राप्त निविदाओं को खोले जाने की अनुमति संबंधी प्रस्ताव।
2	656 / XXXI(15)G-2024/02(सा.) / 2022 दिनांक–01 मई, 2024 **वित्त विभाग**	वित्त विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा मा. मंत्री वित्त, शहरी विकास एवं आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुर्नगठन एवं जनगणना विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वित्त एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठकें आहूत किये जाने का प्रस्ताव।
3	657 / XXXI(15)G-2024/02(सा.) / 2022 दिनांक–01 मई, 2024 **चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग**	चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा (1) खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु मोबाइल इकाइयों 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (Food Safety on Wheel) के कुशल संचालन के सम्बन्ध में खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु सचल खाद्य विशेषणशाला (Food Safety on Wheel) के संचालन हेतु 08 आउटसोर्स पदों (कनिष्ठ विशलेषक, प्रयोगशाला सहायक एवं वाहन चालक) के पदों का सृजन किये जाने (2) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति किये जाने (3) राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ औषधि / सामग्री के दर अनुबन्ध के लिये आमंत्रित निविदा के सम्बन्ध में (4) Operationalise Mobile Tuberculosis Testing Van in Uttarakhand in FiVe Districts Dehradun, U.S. Nagar, Haridwar and pain region Nainital and Pauri. (5) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड कार्यालय के अन्तर्गत Appointment of statutory auditor प्रक्रिया को सम्पादित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में एवं (6) राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ Sickle Cell Poc Test Kit के दर अनुबन्ध के क्रयादेश प्रेषित किये जाने एवं निविदा की आगामी प्रक्रिया सम्पन्न किये जाने के प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या–(3) व (6) नियमित एवं आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रशासकीय विभाग के स्तर पर निर्देश निर्गत किये जा चुके है।
4	658 / XXXI(15)G-	औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा उत्तराखण्ड रिवर

I/210251/2024

	2024/02(सा.)/2022 दिनांक–01 मई, 2024 **औद्योगिक विकास विभाग**	ड्रेजिंग नीति–2021 एवं यथा संशोधित नीति, 2024 के प्राविधानानुसार आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में औरंगाबाद, हजाराग्रांट एवं दादूबास स्थित घोलना रॉ लॉट, रतमऊ नदी लॉट, सेंदला नदी लॉट में रिवर ड्रेजिंग नीति के अन्तर्गत टेण्डर/नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव।
5	659/XXXI(15)G-2024/02(सा.)/2022 दिनांक–01 मई, 2024 **राज्य सम्पत्ति विभाग**	राज्य सम्पत्ति विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा चम्पावत स्थित राज्य अतिथि गृह/सर्किट हाऊस के विस्तारीकरण/उच्चीकरण किये जाने का प्रस्ताव।
6	670/XXXI(15)G-2024/02 (सा.)/2022 दिनांक–02 मई, 2024 **शहरी विकास विभाग**	शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा (1) मा. मंत्री जी शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा आगामी चारधाम यात्रा–2024 के दृष्टिगत शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड की समीक्षा बैठक शीघ्र आहूत कराये जाने एवं (2) नगर पालिका परिषद किच्छा में SBM, MSW, SWM का डोर–टू डोर संग्रहण, परिवहन एवं वैज्ञानिक रूप से प्रबन्धन तथा निस्तारण हेतु आमंत्रित निविदा कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव।
7	671/XXXI(15)G-2024/02(सा.)/2022 दिनांक–02 मई, 2024 **वन विभाग**	वन विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा राज्य के वन क्षेत्रों में निरन्तर घटित हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से मा. विभागीय मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक किये जाने विषयक प्रस्ताव।
8	672/XXXI(15)G-2024/02(सा.)/2022 दिनांक–02 मई, 2024 **आवास विभाग**	आवास विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया हेतु अखबार प्रकाशन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाना एवं आवंटन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव।
9	673/XXXI(15)G-2024/02(सा.)/2022 दिनांक–02 मई, 2024 **विधान सभा सचिवालय**	विधान सभा सचिवालय से प्राप्त प्रस्ताव यथा आर्थिक सहायता के डिमांड ड्राफ्ट वितरित किये जाने तथा कैन्टीन का टैण्डर किये जाने के प्रस्ताव।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्न–यथोपरि।

Signed by Pratap Singh Shah
Date: 10-05-2024 11:15:00
(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

<u>पृष्ठांकन संख्या:–</u> 2940 **<u>XXV-36(2)/2024/तद्दिनांक।</u>**

प्रतिलिपि:–
1. सचिव, परिवहन विभाग/वित्त विभाग/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग/औद्योगिक विकास विभाग/राज्य सम्पत्ति विभाग/शहरी विकास विभाग/वन विभाग एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सचिव, विधान सभा सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(9)

ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय
SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001.
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001.

सं0:437/भा0नि0आ0/उत्तरा-लो0स0/2024/उ0अनु0-2 **दिनांक:- 09 मई, 2024**

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय:- लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024, गठित अनुवीक्षण समिति से प्राप्त विभिन्न विभाग के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या 2874/XXV-36(2)/2024, दिनांक 06 मई, 2024 के संदर्भ में यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि आयोग द्वारा आपके पत्र में दिए समस्त प्रस्तावों को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की जाती है कि किसी भी तरह से राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए इसका कोई उल्लेख नहीं किया जाएगा। तदनुसार संबंधित विभाग को सूचित कर दिया जाए।

भवदीय,

(के.पी. सिंह)
सचिव

(10)

ELE-ELE/COND(LS)/7/2024-ELECT-1-Election Department

I/208943/2024

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्या: 2874 /XXV-36(2)/2024 देहरादून दिनांक 06 मई, 2024

सेवा में,

प्रधान सचिव
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड,
नई दिल्ली।

चुनाव का पर्व DESH KA GARV LOK SABHA ELECTION 2024

विषयः– लोक सभा समान्य निर्वाचन, 2024, गठित अनुवीक्षण समिति से प्राप्त विभिन्न विभाग के अन्तर्गत प्राप्त प्रकरण पर आयोग का अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव समान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा विभिन्न विभागों से प्राप्त निम्नांकित प्रस्तावों पर राज्य अनुवीक्षण समिति की संस्तुति के आधार पर प्रस्तावों पर आयोग का अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

क्र.सं.	**पत्र संख्या/दिनांक/ प्रशासकीय विभाग**	**विवरण**
1	655/XXXI(15)G-2024/02 (सा.)/2022 दिनांक–01 मई, 2024 **परिवहन विभाग**	परिवहन विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा उत्तराखण्ड राज्य में बीएलटी परियोजना हेतु Implementing Agency के निर्धारण के लिये किये गये ई–टैन्डर हेतु प्राप्त निविदाओं को खोले जाने की अनुमति संबंधी प्रस्ताव।
2	656/XXXI(15)G-2024/02(सा.)/2022 दिनांक–01 मई, 2024 **वित्त विभाग**	वित्त विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा मा. मंत्री वित्त, शहरी विकास एवं आवास, विधायी एवं संसदीय कार्य, पुर्नगठन एवं जनगणना विभाग, उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वित्त एवं आवास विभाग की समीक्षा बैठकें आहूत किये जाने का प्रस्ताव।
3	657/XXXI(15)G-2024/02(सा.)/2022 दिनांक–01 मई, 2024 **चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग**	चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा (1) खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु मोबाइल इकाइयों 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (Food Safety on Wheel) के कुशल संचालन के सम्बन्ध में खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु सचल खाद्य विशेषणशाला (Food Safety on Wheel) के संचालन हेतु 08 आउटसोर्स पदों (कनिष्ठ विशलेषक, प्रयोगशाला सहायक एवं वाहन चालक) के पदों का सृजन किये जाने (2) चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत लिपिक संवर्ग के कार्मिकों की पदोन्नति किये जाने (3) राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ औषधि/सामग्री के दर अनुबन्ध के लिये आमंत्रित निविदा के सम्बन्ध में (4) Operationalise Mobile Tuberculosis Testing Van in Uttarakhand in FiVe Districts Dehradun, U.S. Nagar, Haridwar and pain region Nainital and Pauri. (5) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड कार्यालय के अन्तर्गत Appointment of statutory auditor प्रक्रिया को सम्पादित किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में एवं (6) राजकीय चिकित्सालयों के उपयोगार्थ Sickle Cell Poc Test Kit के दर अनुबन्ध के क्रयादेश प्रेषित किये जाने एवं निविदा की आगामी प्रक्रिया सम्पन्न किये जाने के प्रस्तावों के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या–(3) व (6) नियमित एवं आवश्यक प्रकृति का होने के कारण प्रशासकीय विभाग के स्तर पर निर्देश निर्गत किये जा चुके

4	658 / XXXI(15)G-2024/02(सा.) / 2022 दिनांक–01 मई, 2024 **औद्योगिक विकास विभाग**	औद्योगिक विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति–2021 एवं यथा संशोधित नीति, 2024 के प्राविधानानुसार आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार में औरंगाबाद, हजाराग्रांट एवं दादूबास स्थित घोलना रॉ लॉट, रतमऊ नदी लॉट, सेंदला नदी लॉट में रिवर ड्रेजिंग नीति के अन्तर्गत टेण्डर/नीलामी की प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव।
5	659 / XXXI(15)G-2024/02(सा.) / 2022 दिनांक–01 मई, 2024 **राज्य सम्पत्ति विभाग**	राज्य सम्पत्ति विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा चम्पावत स्थित राज्य अतिथि गृह/सर्किट हाऊस के विस्तारीकरण/उच्चीकरण किये जाने का प्रस्ताव।
6	670 / XXXI(15)G-2024/02 (सा.) / 2022 दिनांक–02 मई, 2024 **शहरी विकास विभाग**	शहरी विकास विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा (1) मा. मंत्री जी शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा आगामी चारधाम यात्रा–2024 के दृष्टिगत शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड की समीक्षा बैठक शीघ्र आहूत कराये जाने एवं (2) नगर पालिका परिषद किच्छा में SBM, MSW, SWM का डोर–टू डोर संग्रहण, परिवहन एवं वैज्ञानिक रूप से प्रबन्धन तथा निस्तारण हेतु आमंत्रित निविदा कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने के प्रस्ताव।
7	671 / XXXI(15)G-2024/02(सा.) / 2022 दिनांक–02 मई, 2024 **वन विभाग**	वन विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा राज्य के वन क्षेत्रों में निरन्तर घटित हो रही वनाग्नि की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के उद्देश्य से मा. विभागीय मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक किये जाने विषयक प्रस्ताव।
8	672 / XXXI(15)G-2024/02(सा.) / 2022 दिनांक–02 मई, 2024 **आवास विभाग**	आवास विभाग के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव यथा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया हेतु अखबार प्रकाशन के माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाना एवं आवंटन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव।
9	673 / XXXI(15)G-2024/02(सा.) / 2022 दिनांक–02 मई, 2024 **विधान सभा सचिवालय**	विधान सभा सचिवालय से प्राप्त प्रस्ताव यथा आर्थिक सहायता के डिमांड ड्राफ्ट वितरित किये जाने तथा कैन्टीन का टैण्डर किये जाने के प्रस्ताव।

अतः उपरोक्त के क्रम में राज्य अनुवीक्षण समिति की संस्तुति के क्रम में उपरोक्त प्रस्तावों पर राज्य अनुवीक्षण समिति की संस्तुति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे निवेदन सहित यह कहने के निदेश हुए है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तावों पर अनुमति के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन से अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्न–यथोपरि।

Signed by Pratap Singh Shah
Date: 06-05-2024 10:05:49

(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।